उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–2389–औ0सं0/2024–02(यू0)ए0एस0/24 दिनांक : 05, अगस्त, 2024

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पूर्वान्चल/दक्षिणांचल/पश्चिमाँचल,
विद्युत वितरण निगम लि0 एवं केस्को,
लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ एवं कानपुर।

समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

विषयः– विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ, उ0प्र0 द्वारा दिनांक 09.08.2024 को प्रत्येक जिले में शांतिपूर्ण सत्याग्रह की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ, उ0प्र0 के पत्र संख्या–20/वि0सं0क0म0/कारपो0 दिनांक 26.07.2024 (प्रतिलिपि संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से संघ द्वारा दिनांक 09.08.2024 को प्रत्येक जिले में शांतिपूर्ण सत्याग्रह किये जाने की सूचना से अवगत कराया है।

संयुक्त सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0–814–24–पी–2–24 दिनांक 04.07.2024 द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न निगमों में उ0 प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–30 सन् 1966) की धारा(3) की उपधारा (1) के अन्तर्गत 06 माह हेतु हड़ताल निषिद्ध किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त आदेश कारपोरेशन के पत्र संख्या–2161–औ0सं0–17/पाकालि/2024–159–ए/67 दिनांक 16.07.2024 द्वारा सभी को संसूचित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की हड़ताल/आन्दोलन/धरना प्रदर्शन करना न केवल अनुचित है अपितु अवैधानिक भी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ, उ0प्र0 द्वारा प्रस्तावित प्रत्येक जिले में शांतिपूर्ण सत्याग्रह को दृष्टिगत रखते हुये विद्युत व्यवस्था की स्थिति को प्रत्येक दशा में सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये, कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रों व संयन्त्रों तथा निष्ठावान कर्मचारियों की सुरक्षा की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये। आउटसोर्स एजेन्सियों को निर्देशित कर दिया जाये कि कोई भी आउटसोर्स श्रमिक प्रस्तावित धरना प्रदर्शन में प्रतिभाग न करे। कृपया उक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें, एवं कृत कार्यवाही से कारपोरेशन मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

सलंग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

(कमलेश बहादुर सिंह)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्याः–2389–औ0सं0/2024, तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0/उ0प्र0पा0ट्रॉ0का0लि0/उ0प्र0एस0एल0डी0सी0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. पुलिस आयुक्त/जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. निदेशक (क0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0ट्रॉ0का0लि0/उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक(का0एवंप्रशा0),पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचलवि0वि0नि0लि0,वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा
6. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जानपद), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार को आन्दोलन के दृष्टिगत जिला/पुलिस प्रशासन से शक्ति भवन की सुरक्षा व्यवस्था कराने हेतु।
8. संयुक्त सचिव (ज0श0 एवं कार्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. कट फाइल।

Pkumar

(प्रदीप कुमार)
महाप्रबन्धक (औ0सं0)